HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

(1) S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 1085/2014

The New India Assurance Company Limited, Through Its Authorised Signatory, Jaipur Regional Office: 330000, 2nd Floor, Nehru Place, Tonk Road, Jaipur (Raj.)-302015

----Appellant/Non-Claimant No.3
Insurer of Truck No. RJ-02/G-8719

Versus

1. Sangeeta, W/o Late Prahlad Singh, Aged 40 Years;
2. Prateek, S/o Late Prahlad Singh, Aged 16 Years (Minor), Through Natural Guardian And Mother Sangeeta, W/o Late Prahlad Singh, Aged 40 Years;
3. Yash, Late Prahlad Singh, Aged 14 Years (Minor), Through Natural Guardian And Mother Sangeeta, W/o Late Prahlad Singh, Aged 40 Years;
4. Ramkaran, D/o Mularam, Aged 78 Years;
5. Lachho, W/o Ramkaran, Aged 73 Years;
All R/o 137, Shanti Kunj, Alwar-301001 (Raj.)

----Respondents/Claimants

6. Badloo Khan, S/o Rahim Khan, Aged 48 Years, R/o Ghasoli, Police Station Kishangarhbaas, District Alwar (Raj.)

----Respondent/Non-Claimant No.1
Driver of Truck No. RJ-02/G-8719

7. Ram Babu Gupta, S/o Raghunath Prasad Gupta, Aged 43 Years, R/o Barodamev, Tehsil Laxmangarh, District Alwar (Raj.)

----Respondent/Non-Claimant No.2
Registered Owner of Truck No. RJ-02/G-8719

Connected With

(2) S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 1593/2014

1. Sangeeta Wife of Late Shri Prahlad Singh, Age About 39 Years
2. Prateek Son of Late Shri Prahlad Singh, Age About 16 Years
3. Yash Son of Late Shri Prahlad Singh, Age About 12 Years
4. Ramkaran Son of Shri Moola Ram Age 78 Years

5. Lachho Wife of Shri Ramkaran Ram Age 73 Years
Appellant No. 2, 3 And 4 Are Minor Through Their Mother And Natural Guardian Sangeeta Wife of Late Shri Prahlad Singh
All Resident of House No. 137, Shantikunj, Alwar (Raj.)

----Claimants/Appellants

Versus

1. Badlu Khan Son of Shri Rahim Khan, Resident of Ghasoli, Police Station Kishangarh Bas District Alwar - Driver of The Vehicle Track No. R.J.-02-G-8719
2. Rambabu Gupta Son of Shri Raghunath Prasad Gupta, Resident of Village Laxmangarh District Alwar - Owner of The Vehicle Track No. R.J.-02-G-8719
3. The New India Insurance Company Limited, Division Office At Lakhanda Wala Kuwa, Near Old Power House, Alwar (Raj.) Having Its Regional Office At Nehru Place, Tonk Road, Jaipur Through Its Regional Manager (Insurance Company).

----Non-Claimants/Respondents

For Appellant(s)	:	Mr. Sanjay Kumar Singhal, Adv. Ms. Firoz Akhtar Ansari & Ms. Nishtha Jain (for respondent in SB CMA No. 1593/2014)
For Respondent(s)	:	Mr. Girish Khandelwal (for Appellant In SB CMA No. 1593/2014)

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Judgment

DATE OF CONCLUSION OF ARGUMENTS	::	**07/05/2026**
DATE OF RESERVED	::	**07/05/2026**
FULL/OPERATIVE PART PRONOUNCED	::	**FULL**
DATE OF PRONOUNCEMENT	::	**22/05/2026**

1. अपीलांट/नॉन क्लेमेंट नम्बर–3 बीमा कम्पनी (जिसे आगे 'अपीलांट बीमा कम्पनी' के नाम से संबोधित किया जाएगा) की ओर से प्रस्तुत **दीवानी विविध अपील संख्या–1085/2014** तथा दावाकर्तागण/अपीलार्थीगण संगीता व अन्य (जिन्हें आगे 'दावाकर्तागण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) की

ओर से प्रस्तुत **दीवानी विविध अपील संख्या–1593/2014,** उपरोक्त दोनों दीवानी विविध अपील धारा–173 मोटर वाहन अधिनियम–1988 के तहत **न्यायालय मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, अलवर** (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा **क्लेम याचिका संख्या–396/2006, संगीता व अन्य बनाम बदलूखां व अन्य** में पारित **निर्णय दिनांक 08.01.2014** (जिसे आगे 'आलोच्य निर्णय' के नाम से संबोधित किया जाएगा) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिनका निस्तारण सुविधा की दृष्टि से इस एक निर्णय के द्वारा किया जा रहा है।

2. दावाकर्तागण **संगीता व अन्य** की ओर से मोटर वाहन दुर्घटना में **प्रहलाद सिंह** की मृत्यु कारित हो जाने के फलस्वरूप **कुल 86,88,856/– रुपये** क्लेम प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका विद्वान अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका का निस्तारण करते हुए याचीगण को **कुल 28,47,375/– रुपये** की क्षतिपूर्ति राशि **मय ब्याज 7.5 प्रतिशत** सालाना की दर से दिलवाई गयी है। विद्वान अधिकरण के उक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट बीमा कम्पनी की द्वारा प्रस्तुत **दीवानी विविध अपील संख्या–1085/2014,** विद्वान अधिकरण के उक्त आलोच्य निर्णय को अपास्त किये जाने हेतु तथा दावाकर्तागण द्वारा प्रस्तुत **दीवानी विविध अपील संख्या–1593/2014,** विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

3. **दीवानी विविध अपील संख्या–1085/2014** के संबंध में दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार सिंघल अपीलांट बीमा कम्पनी का तर्क रहा है कि हस्तगत मामले की घटना में मृतक स्वयं उपेक्षापूर्ण तरीके से मोटरसाईकिल चलाने का दोषी रहा है। पत्रावली पर जो तथ्य सामने आये हैं, उसके अनुसार दुर्घटनास्थल के पास एफ.सी.आई. का गोदाम स्थित है। वक्त घटना सड़क के एक ओर ट्रक खड़े हुए थे तथा सड़क पर एक ओर से ही आवागमन हो रहा था। मृतक मोटरसाईकिल से सामने से आ रहा था, जिसके विपरीत दिशा में ट्रक नम्बर आरजे–02–जी–8719 (जिसे आगे 'प्रश्नगत वाहन' के नाम से संबोधित किया जाएगा) आ रहा था। मोटरसाईकिल चालक वक्त घटना अपनी बाईं दिशा को छोड़कर दाईं दिशा की ओर आया जो मोटरसाईकिल चालक की गलत दिशा है और उस समय

दुर्घटना घटित हुई है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत वाहन चालक का दोष दुर्घटना कारित करने में नहीं माना जा सकता है। अपने तर्कों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट बीमा कम्पनी द्वारा न्यायालय का ध्यान अनुसंधान के दौरान बनाये गये घटनास्थल के नक्शा मौका प्रदर्श–4 की ओर तथा दावाकर्तागण द्वारा प्रस्तुत क्लेम याचिका के चरण संख्या–27 की ओर आकर्षित करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि क्लेम याचिका के उक्त चरण संख्या–27 में दावाकर्तागण स्वयं यह लिखकर आये हैं कि घटना के समय मृतक मोटरसाईकिल को दाईं ओर ले गया। इसके अतिरिक्त विद्वान अधिवक्ता अपीलांट बीमा कम्पनी का यह भी तर्क रहा है कि याचीगण की ओर से चश्मदीद गवाह ए.डब्ल्यू–2 सत्यनारायण व ए.डब्ल्यू–3 महेशचंद शर्मा के बयान लेखबद्ध करवाये गये हैं। उक्त दोनों ही साक्षीगण की साक्ष्य रही है कि वक्त दुर्घटना सड़क पर एक तरफ वाहन खड़े थे। इन दोनों ही साक्षीगण ने यह भी स्वीकार किया है कि वक्त घटना मृतक प्रहलाद अपनी गलत दिशा में चल रहा था। यदि मृतक प्रहलाद अपनी सही दिशा में चल रहा होता तो दुर्घटना घटित नहीं होती। इस प्रकार विद्वान अधिवक्ता अपीलांट बीमा कम्पनी ने मामले की तथ्यात्मक स्थिति तथा पत्रावली पर आई साक्ष्य के आधार पर तर्क प्रस्तुत किया है कि मामले की घटना में सम्पूर्ण गलती मृतक की रही है। विद्वान अधिकरण द्वारा इस तथ्य पर विचार नहीं किया जाकर, प्रश्नगत वाहन चालक को दोषी माना जाकर त्रुटि कारित की गई है। अतः उपरोक्त आधारों पर प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण के आलोच्य निर्णय को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया। अपने तर्कों के समर्थन विद्वान अधिवक्ता अपीलांट बीमा कम्पनी द्वारा न्यायालय का ध्यान निम्न न्यायिक दृष्टांत की ओर आकर्षित किया गया :–

- **Sunita & Ors. Vs. Rajasthan State Road Transport Corporation & Anr.** reported in **2019(1) ACTC (SC) 227 &**
- **United India Insurance Co. Ltd. Vs. Smt. Lalita & Ors.** reported in **2019(2) ACTC (Raj.) 10.**

4. इसके विपरीत दावाकर्तागण **संगीता व अन्य** की ओर से प्रस्तुत **दीवानी विविध अपील संख्या–1593/2014** के संबंध में दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता श्री गिरीश खण्डेलवाल का तर्क रहा है कि मामले की घटना के तथ्यों के

अनुसार मृतक मोटरसाईकिल पर था, जबकि प्रश्नगत वाहन एक ट्रक है, जिसे प्रश्नगत वाहन चालक प्रत्यर्थी संख्या–1 द्वारा तेज गति व लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित की गई है। उनका यह भी तर्क रहा है कि घटनास्थल का जो नक्शा मौका प्रदर्श–4 प्रदर्शित करवाया गया है, उसके पीछे जो हालात मौका अंकित किया गया है, उससे स्पष्ट हो रहा है कि प्रश्नगत वाहन चालक इतनी तेज गति में था कि टक्कर मारने के उपरांत भी प्रश्नगत वाहन चालक, मोटरसाईकिल चालक मृतक प्रहलाद को काफी दूर तक घसीटता हुआ ले गया। मौके पर काफी दूर तक मृतक के खून के निशान, टायर के रगड़क के निशान तथा मृतक के मांस के लौथड़े पड़े होना दर्शाया गया है। इस तथ्यात्मक स्थिति के संदर्भ में विद्वान अधिवक्ता दावाकर्तागण का तर्क रहा है कि यदि तर्क के लिए मान भी लिया जाए कि वक्त घटना सड़क के एक ओर काफी ट्रक खड़े थे तथा आवागमन एक ही तरफ से हो रहा था तो उस स्थिति में भी प्रश्नगत वाहन चालक का यह कर्तव्य था कि वह प्रश्नगत वाहन को उस गति में चलाता, जिस गति में चलाकर वह वाहन पर नियंत्रण रख पाता। प्रश्नगत वाहन चालक द्वारा मोटरसाईकिल चालक मृतक प्रहलाद को घसीटते हुए दूर तक दूसरी ओर ले जाना यह साबित करता है कि वाहन अत्यंत तेज गति में था और टक्कर मारने के बावजूद प्रश्नगत वाहन चालक द्वारा वाहन पर नियंत्रण नहीं रखा जा सका और मृतक की मोटरसाईकिल को घसीटते हुए दूर तक ले गया। ऐसी स्थिति में दुर्घटना का सम्पूर्ण दायित्व प्रश्नगत वाहन चालक का ही है। उनका यह भी तर्क रहा है कि मामले में अनुसंधान के उपरांत प्रश्नगत वाहन चालक को ही दुर्घटना में दोषी माना जाकर उसके विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया जा चुका है। इस संबंध में उनका यह भी तर्क रहा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक दृष्टांत **Ranjeet & Anr. Vs. Abdul Kayam Neb & Anr. [SLP (C) No. 10351/2019]** decided on 25.02.2025 के मामले में प्रश्नगत वाहन चालक के विरुद्ध चार्जशीट पेश हो जाने के उपरांत प्रश्नगत वाहन चालक ही गलती मानी गयी है, इसलिए इस मामले में भी प्रश्नगत वाहन चालक की ही गलती मानी जावे। उनका यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा भविष्य–वृद्धि की राशि पर दावाकर्तागण को ब्याज नहीं दिलवाया जाकर त्रुटि कारित की गई है तथा कंसोर्टियम की

मद में व अन्य मदों में भी अत्यंत कम राशि दिलवाई गई है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः दावाकर्तागण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गई। अपने तर्कों के समर्थन विद्वान अधिवक्ता दावाकर्तागण द्वारा न्यायालय का ध्यान निम्न न्यायिक दृष्टांत की ओर आकर्षित किया गया :–

- **Magma H.D.I. General Insurance Co. Ltd. Vs. Smt. Shubhla & Ors.** reported in **2023 ACTC (Raj.) 1.**

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावलियों व विद्वान अधिकरण के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

<u>दीवानी विविध अपील संख्या–1085/2014 :–</u>

6. पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यात्मक स्थिति व प्रस्तुत साक्ष्य से हमारे समक्ष यह स्थिति स्पष्ट होती है कि वक्त घटना दुर्घटनास्थल पर एक तरफ काफी वाहन खड़े हुए थे। दुर्घटना आमने–सामने की घटित हुई है। मोटरसाईकिल चालक मृतक, अपनी बाईं ओर ट्रक खड़े होने से, अपनी मोटरसाईकिल को दाईं ओर से ला रहा था। इसी कारण से सामने से आ रहे ट्रक से टक्कर हुई है। किन्तु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जब प्रश्नगत वाहन चालक को यह पता था कि सड़क एक तरफ से जाम है व एक ही तरफ से आवागमन हो रहा है तो उस स्थिति में प्रश्नगत वाहन चालक का यह कर्तव्य था कि वह प्रश्नगत वाहन ट्रक को इतनी सावधानीपूर्वक चलाता कि किसी दुर्घटना को टाला जा सके। किन्तु मामले की जो तथ्यात्मक स्थिति रही है व नक्शा मौका प्रदर्श–4 के हालात मौका में जो आलामात दुर्घटना के बाद के दर्शाए गये हैं, उनके सहज से ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रश्नगत वाहन चालक वक्त घटना तेज गति व लापरवाही से वाहन को चला रहा था, इस कारण दुर्घटना घटित हुई है तथा प्रश्नगत वाहन चालक के खिलाफ अनुसंधान के उपरांत आरोप पत्र भी पेश किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता है कि प्रश्नगत वाहन चालक का मामले की दुर्घटना में कोई दोष नहीं रहा हो। यदि तर्क के लिए मान भी लिया जावे कि मृतक मोटरसाईकिल चालक गलत दिशा में मोटरसाईकिल लेकर आ रहा था, जबकि इस दुर्घटना को टालने का अंतिम अवसर (last

opportunity) प्रश्नगत वाहन चालक के पास उपलब्ध था, किन्तु तेज गति में होने के कारण प्रश्नगत वाहन चालक दुर्घटना को नहीं टाल सका व दुर्घटना घटित हुई। इन समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए हम, हस्तगत मामले की घटना में प्रश्नगत वाहन ट्रक के चालक की 75 प्रतिशत योगदायी उपेक्षा तथा मृतक की 25 प्रतिशत योगदायी उपेक्षा माना जाना उचित समझते हैं।

7. उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलांट बीमा कम्पनी द्वारा प्रस्तुत **दीवानी विविध अपील संख्या–1085/2014** आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा मामले की घटना में प्रश्नगत वाहन ट्रक के चालक बदलूखां प्रत्यर्थी संख्या–6 की 75 प्रतिशत योगदायी उपेक्षा तथा मोटरसाईकिल चालक मृतक प्रहलाद सिंह की 25 प्रतिशत योगदायी उपेक्षा निर्धारित की जाती है।

दीवानी विविध अपील संख्या–1593/2014 :–

8. जहां तक दावाकर्तागण को दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने का प्रश्न है तो इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 23.08.2006 की बताई गई है तथा वक्त घटना मृतक प्रहलाद सिंह को भारतीय रेल्वे में ई.एस.एम. ग्रेड–प्रथम के पद पर कार्यरत होना बताते हुए प्रतिमाह 10,750/– रुपये वेतन प्राप्त करना बताया गया है। मृतक की आय के संबंध में दावाकर्तागण द्वारा मृतक का वेतन प्रमाण पत्र प्रदर्श–15 तथा रेल्वे विभाग द्वारा जारी वेतन निर्धारण आदेश प्रदर्श–18 पत्रावली पर पेश किया गया, जिस पर विश्वास करते हुए विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना मृतक की मासिक आय 12,950/– रुपये, तद्नुसार वार्षिक आय 1,55,400/– रुपये निर्धारित की है। दावाकर्तागण की ओर से मृतक की आय के संबंध में कोई आपत्ति नहीं ली गई है।

9. विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना मृतक पर आश्रितों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में 1/4 भाग अर्थात 38,850/– रुपये की कटौती की जाकर शेष रही आश्रित आय 1,16,550/– रुपये पर मृतक की 37 वर्ष की आयु को दृष्टिगत रखते हुए 15 का गुणक प्रयोग किया जाकर आश्रित आय की क्षति के मद में कुल

17,48,250/– रुपये की राशि निर्धारित करते हुए उपरोक्त निर्धारित आश्रित आय की राशि पर 50 प्रतिशत अर्थात् 8,74,125/– रुपये की बढ़ोतरी की जाकर आश्रित आय की क्षति के मद में **कुल 26,22,375/– रुपये** की राशि दावाकर्तागण को दिलवाई गई है। किन्तु विद्वान अधिकरण द्वारा दावाकर्तागण को भविष्य वृद्धि की राशि पर कोई ब्याज नहीं दिलवाया गया है। ऐसी स्थिति में हम, दावाकर्तागण को भविष्य वृद्धि की राशि पर भी ब्याज दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

10. विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक की पत्नी को 1,00,000/– रुपये तथा मृतक के पुत्रों को 1,00,000/– रुपये, इस प्रकार कुल 2,00,000/– रुपये की राशि दावाकर्तागण को कंसोर्टियम की मद में दिलवाई गई है। मृतक के पिता व माता को कंसोर्टियम की मद में कोई राशि नहीं दिलवाई गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2017) 16 एस.सी.सी. 680, यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2021) 11 एससीसी 780** व अन्य न्यायिक दृष्टांत **मेगमा जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम नानू राम उर्फ चुहरू राम व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2018) 18 एससीसी 130** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक आश्रित को 40,000/– रुपये कंसोर्टियम की मद में दिलवाये जाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

11. ऐसी स्थिति में हम, माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **प्रणय सेठी (उपरोक्त), सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर (उपरोक्त)** व **नानू राम उर्फ चुहरू राम (उपरोक्त)** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार घटना की तिथि को दृष्टिगत रखते हुए, मृतक की पत्नी दावाकर्ता संख्या–1 को ''स्पाउस कंसोर्टियम'' की मद में 40,000/– रुपये, मृतक के पुत्रों दावाकर्ता संख्या– 2 व 3 प्रत्येक को ''पैरेण्टल कंसोर्टियम'' की मद में 40,000/– रुपये तथा मृतक के पिता व माता दावाकर्ता संख्या–4 व 5 प्रत्येक को ''फिलियल कंसोर्टियम'' की मद में 40,000/– रुपये (कुल 2,00,000/– रुपये) की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

12. विद्वान अधिकरण द्वारा दावाकर्तागण को अंतिम संस्कार की मद में 25,000/– रुपये की राशि दिलवाई गई है, जो अधिक है। अतः उपरोक्त मद

में हम, **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार 15,000/– रुपये की राशि दावाकर्तागण को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

13. विद्वान अधिकरण द्वारा दावाकर्तागण को सम्पदा की हानि के मद में कोई राशि नहीं दिलवाई गई है। अतः उपरोक्त मद में हम, **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार 15,000/– रुपये की राशि दावाकर्तागण को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

14. उक्तानुसार दावाकर्तागण **संगीता व अन्य** निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं :–

क्रम सं.	**शीर्ष/मद**	**इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि (रूपये में)**
1.	आश्रित आय की क्षति के मद में	26,22,375/–
2.	कंसोर्टियम के मद में	कुल 2,00,000/–
3.	अंतिम संस्कार के मद में	15,000/–
4.	सम्पदा की हानि के मद में	15,000/–
इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई कुल क्षतिपूर्ति राशि		**28,52,375/–**
विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि (–)		28,47,375/–
बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर		**5,000/–**

15. मामले की घटना में प्रश्नगत वाहन ट्रक नम्बर आरजे–02–जी–8719 के चालक बदलूखां की 75 प्रतिशत योगदायी उपेक्षा तथा मोटरसाईकिल चालक मृतक प्रहलाद सिंह की 25 प्रतिशत योगदायी उपेक्षा मानी गयी है, इसलिए इस निर्णय द्वारा निर्धारित की गयी क्षतिपूर्ति राशि 28,52,375/– रुपये में से मृतक की 25 प्रतिशत योगदायी उपेक्षा के फलस्वरूप 7,13,094/– रुपये की कटौती की जाकर शेष रही **21,39,281/– रुपये** की राशि ही दावाकर्तागण प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते हैं।

16. तदनुसार दावाकर्तागण द्वारा प्रस्तुत **दीवानी विविध अपील संख्या–1593/2014,** आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा दावाकर्तागण को **28,47,375/– रूपये** दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है, के स्थान पर मृतक प्रहलाद सिंह की 25 प्रतिशत योगदायी उपेक्षा निर्धारित करते हुए **कुल 21,39,281/– रूपये** का पंचाट पारित किया जाता है। दावाकर्तागण द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से

समायोजित किया जाकर शेष राशि दावाकर्तागण प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते हैं। दावाकर्तागण को देय क्षतिपूर्ति राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जाएगी।

17. इस न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 07.04.2014 के अनुसार विद्वान अधिकरण द्वारा पारित आलोच्य निर्णय दिनांक 08.01.2014 में निर्धारित सम्पूर्ण अवार्ड राशि पर रोक लगाई गई थी। चूंकि इस न्यायालय द्वारा अपीलांट बीमा कम्पनी तथा दावाकर्तागण द्वारा प्रस्तुत अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की गई हैं। ऐसी स्थिति में अब इस न्यायालय द्वारा विद्वान अधिकरण के निर्णय पर लगाई गई रोक हटाई जाती है तथा विद्वान अधिकरण को आदेशित किया जाता है कि विद्वान अधिकरण, इस न्यायालय द्वारा मृतक की योगदायी उपेक्षा के पश्चात् निर्धारित की गई क्षतिपूर्ति राशि को दृष्टिगत रखते हुए उक्त राशि का भुगतान मय ब्याज नियमानुसार दावाकर्तागण को कर दिया जावे।

18. इस निर्णय द्वारा योगदायी उपेक्षा के पश्चात् निर्धारित की गई सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से दावाकर्तागण, 08 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

19. निर्णय की प्रति के साथ प्रकरण का अभिलेख संबंधित विद्वान अधिकरण को अविलम्ब लौटाया जावे।

20. तदनुसार उपरोक्त अपीलें निस्तारित की जाती हैं।

21. सभी लम्बित प्रार्थना–पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J

LOKESH RAJ/5-6